



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 577 राँची, सोमवार,

9 सितम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

23 अगस्त, 2024

संख्या-3/आरोप-11-22/2024 का.-26993 (HRMS)--कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1739 दिनांक- 26.07.2024 के द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-179/20), अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची के विरुद्ध दिनांक- 22.09.2023 को विभाग में योगदान करने के उपरांत विभाग में कार्यरत रहने के उपरांत दिनांक- 10.10.2023 से दिनांक- 27.10.2023 तक अवकाश में रहने के उपरांत अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया है, जो उनके अनुशासनहीनता एवं कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है तथा यह सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है ।

2. अतः श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-179/20), अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में श्री सिंह को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10(1) के अनुरूप जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	ANIL KUMAR SINGH (110071165689)	श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-179/20), अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।	23/08/2024

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
